पत्र संख्या–14/डी0एल0ए0 सुपौल (पर्यटन)–141/2013– ~~7~~ पटना 15 दि0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

पटना दिनांकः– 12-07-13

.........1779/रा0,

अधिसूचना

चुँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा आसनपुर कुपहा थाना नं0 93 परगना– नारेदिगर, थाना– किसनपुर, जिला– सुपौल, में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात् मार्गीय सुविधा निर्माण के लिए पर्यटन विभाग के तहत बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिए उपरोक्त ग्राम– आसनपुर कुपहा थाना– नं0 93 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश 7.52 (सात एकड़ बावन डी0) मात्र है, जिसका पूर्ण/अंश खेसरा निम्न प्रकार है:–

पूर्ण खेसरा संख्याः– 124, 125, 136, 138, 139, 140, 142, 143 एवं 144

अंश खेसरा संख्याः– 126, 127, 135, 137, 141, 145, 146 एवं 147

चौहद्दीः–
उत्तरः–मौजा–आसनपुर कुपहा थाना नं–93 का खेसरा सं0–127 एवं 123, 122, 121, 145 एवं 146

दक्षिणः– मौजा–आसनपुर कुपहा थाना नं–93 का खेसरा सं0–135, 137, 141, 147 एवं 151

पूरबः– मौजा–आसनपुर कुपहा थाना नं–93 का खेसरा सं0– 146 एवं 147

पश्चिमः– मौजा–आसनपुर कुपहा थाना नं–93 का एन0एच0–57 पथ।

यह अधिसूचना, अधिनियम 1, 1894 की धारा 4 के उपबंधों के अधीन जैसा कि बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 द्वारा संशोधित हुआ है उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार सरकार जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना से संबंद्ध प्रारम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे अंचल अधिकारी, किसनपुर के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उसका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने निश्चित किया है कि परियोजना की शीध्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा (5A) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

समाहर्त्ता,
सुपौल।

ज्ञापांकः– 1779/रा०,

दिनांकः– 12-07-13

प्रतिलिपिः–

- तीन अतिरिक्त प्रतियाँ सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों– जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाि ात संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पाँच–पाँच प्रतियाँ इस विभाग को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- समाहर्त्ता, सुपौल, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सुपौल एवं अंचल अधिकारी, किसनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/13

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।